बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना–800001

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक- 70

दिनांक- 25.08.2020

महासचिव
डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586
डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261
संगठन सचिव
डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154
कोषाध्यक्ष
डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631
वित्त सचिव
डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705
अंकेक्षक
डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979
तकनीकी सचिव
डॉ० सीमु
मो० 9471642606
प्रचार सचिव
डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500
क्षेत्रीय सचिव
डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025
डॉ० संजीत कुमार
मो० 7070521479
डॉ० पंकज कुमार
मो० 8178451672
डॉ० करूणा भारती
मो० 9905277744
डॉ० साकेत कुमार
मो० 9471404196
डॉ० राजशेखर
मो० 7979085551
डॉ० निरंजन कुमार
मो० 9162394546
डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी
मो० 7091974830

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

बिहार।

विषयः–बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली – 2014 के अनुसार प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर का वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A की स्वीकृति देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली – 2014, बिहार सरकार के राजपत्र (असाधारण अंक) में अधिसूचना संख्या – 4288, दिनांक 11–12–2014 के द्वारा प्रकाशन की तिथि से ही प्रवृत है। नियमावली के अध्याय –2 कंडिका 3(5) के द्वारा सामान्य संवर्ग के लिए पदसोपान इस प्रकार स्वीकृत है (अनुलग्नक–1, पृष्ठ सं0– 01 से 08) यथाः–

1. प्रखंड पशुचिकित्सा पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष (मूल कोटि)।
2. अनुमंडल स्तर के पद यथा अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (प्रथम प्रोन्नति स्तर)।
3. जिला स्तर के पद यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)।
4. प्रमंडल स्तर के पद यथा क्षेत्रीय स्तर एवं समकक्ष पद (तृतीय प्रोन्नति स्तर)।
5. अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय (चतुर्थ प्रोन्नति स्तर)।

महाशय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या –7433, दिनांक 05.06.2018 के आलोक में बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के लिए वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A अनुमान्य होता है, जिसके लिए प्रशासी विभाग के द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेजा गया था : (अनुलग्नक–2, सा0 प्र0 वि0 का सं0 सं0 – 7433, पृष्ठ सं0–09 से 12) ।

परंतु विश्वस्त सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि पूर्व से प्रवृत नियमावली एवं प्रशासी विभाग के प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए वित्त विभाग द्वारा प्रोन्नति के मात्र दो (02) स्तर (वेतनमान Level — 11 एवं 12) की स्वीकृति दी गई है तथा नियमावली को ही संशोधन करने को कहा गया है, जबकि राज्य के अन्य सभी सेवा संवर्ग को उनके नियमावली के अनुरुप ही पदसोपान एवं प्रोन्नति

का लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा सहित कई अन्य सेवा के पदाधिकारी का सेवा Level —9 में प्रवेश में होता है तथा Level —14 तक प्रोन्नति प्राप्त होता है।

बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तरह ही बहुत बड़ा संवर्ग है, जिसमें प्रखंड के नीचे स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक का पद सृजित एवं स्वीकृत है। इसलिए अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, प्रमंडल स्तर एवं निदेशालय स्तर पर प्रोन्नति का पद होना नितांत आवश्यक है। पूर्व में भी अपर निदेशक का पद प्रोन्नति के चतुर्थ स्तर (तत्कालीन वेतनमान 4500—5700) का रहा है (अनुलग्नक—3, पृष्ठ सं0— 13 से 15) ।

महोदय राज्य के विकास में पशुधन एवं पशुचिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भवदीय द्वारा स्वयं पशुचिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समरुप वेतनादि का लाभ दिये जाने का घोषणा किया जा चुका है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि अन्य सेवा संवर्गो के तरह ही बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को भी बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली — 2014 के अनुसार प्रोन्नति के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के लिए वेतनमान क्रमशः Level — 11, 12, 13 एवं 13A की स्वीकृति देने की कृपा प्रदान की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

ज्ञापांक ......70....../ बिप0चि0संघ पटना, दिनांक.....25.....अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नकः—यथोक्त।

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

प्रधान महासचिव

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1936 (श0)

(सं0 पटना 1021) पटना, वृहस्पतिवार, 11 दिसम्बर 2014

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

4 दिसम्बर 2014

सं0 1 स्था0 (2) 1001/2010–4288—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य पशु चिकित्सा सेवा की शर्त्तों को विनिश्चित एवं नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

अध्याय –1

सामान्य प्रावधान

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह बिहार सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** –इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है राज्यपाल, बिहार सरकार ;

(iii) ''सेवा नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार।

(iv) ''विभाग'' से अभिप्रेत है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

(v) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग।

(vi) ''विशेषज्ञ कर्त्तव्य'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित वैसी सेवा / पद जिसके लिए विशिष्ट योग्यता/अनुभव अपेक्षित है।

(vii) ''विशेषज्ञ'' से अभिप्रेत है वैसे पशु चिकित्सक जिसे पशु चिकित्सा अथवा पशुपालन विज्ञान के किसी विषय में M.V. Sc. अथवा Ph.D. या समकक्ष उच्चतर डिग्री प्राप्त है।

(viii) ''मान्यता प्राप्त संस्थान'' से अभिप्रेत है वैसे शिक्षण, शोध अथवा अन्य संस्थान, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (केन्द्रीय अधिनियम 52/ 1984) के प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध है ;

(ix) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा सेवा ;

(x) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा सेवा में नियुक्त पशुचिकित्सक ;

(xi) ''राज्य परिषद्'' से अभिप्रेत है बिहार पशुचिकित्सा परिषद् ;

(xii) बैचलर इन वेटनरी साइंस एण्ड एनिमल हसबैन्ड्री (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री से अभिप्रेत है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त बी0वी0एस0सी0 एवं ए0एच0 की डिग्री ;

(xiii) एम0वी0एस0सी0 से अभिप्रेत है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से अनुमान्यता प्राप्त एम0वी0एस0सी0 की डिग्री ;

(xiv) 'बिहार वेटनरी सेवा' से अभिप्रेत है बिहार एवं उड़ीसा वेटनरी सर्विस वर्ग–1 (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) असैनिक सेवा नियमावली के अधीन अनुमान्य बिहार वेटनरी सेवा ;

(xv) ''विभागीय प्रोन्नति समिति'' से अभिप्रेत है सेवा के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति।

अध्याय– 2

बिहार पशुचिकित्सा सेवा

3. **सेवा का गठन।** – (1) राज्य सरकार के अधीन नियमित रूप से नियुक्त पशुचिकित्सक (वेटनरी चिकित्सक) की सेवा को बिहार पशुचिकित्सक सेवा कहा जा सकेगा।

(2) बिहार पशु चिकित्सा सेवा में निम्नलिखित दो संवर्ग होंगे :–

(क) बिहार पशुचिकित्सा सेवा – सामान्य संवर्ग

(ख) बिहार पशुचिकित्सा सेवा – विशेषज्ञ संवर्ग

(3) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से बिहार पशुपालन सेवा/बिहार वेटनरी सेवा में नियुक्त एवं कार्यरत पशु चिकित्सक स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।

(4) राज्य सरकार पशु चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं, शोध एवं प्रशिक्षण आदि को बढ़ावा देने के लिए कुछ पदों को विशेषज्ञ पदों के रूप में चिन्हित कर सकेगी। इन पदों की अर्हत्ता पशु चिकित्सा अथवा पशुपालन विज्ञान के किसी विषय में M.V. Sc. अथवा Ph.D. या समकक्ष उच्चतर डिग्री होगी। विशेषज्ञ पदों का सरकार द्वारा विनिश्चित नियमों का ध्यान रखते हुए पुनर्निर्धारण करने की शक्ति प्रशासी विभाग को होगी।

(5) सामान्य संवर्ग में निम्नलिखित पद पद– सोपान होंगे :–

(i) प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (मूल कोटि)

(ii) अनुमंडल स्तर के पद यथा अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (प्रथम प्रोन्नति स्तर)

(iii) जिला स्तर के पद यथा जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)

(iv) प्रमंडल स्तर के पद यथा क्षेत्रीय निदेशक एवं समकक्ष पद (तृतीय प्रोन्नति स्तर)

(v) अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय (चतुर्थ प्रोन्नति स्तर)

नोट :– **उपर्युक्त** क्रमांक (ii) से (v) में उल्लिखित पदों की संख्या, समय–समय पर, विभाग द्वारा, विनिश्चित सामान्य संवर्ग एवं विशेषज्ञ संवर्ग के लिए अलग–अलग संख्या विनिश्चित की जायेगी।

4. बिहार पशुचिकित्सा सेवा में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ पदों पर होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली की विहित प्रक्रिया अनुसार इनका चयन किया जायगा। यह चयन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा और सरकार द्वारा विनिश्चित आयु सीमा एवं आरक्षण नियमों का पालन आवश्यक होगा।

5. **अर्हता।** – (1) सामान्य संवर्ग/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0भी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) की डिग्री होगी। किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पशुचिकित्सकों को कार्यानुभव के लिए अधिमानता दी जा सकेगी।

(2) सामान्य संवर्ग/विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु, पशु चिकित्सकों के चयन के लिए, अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं मौखिक साक्षात्कार के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल विनिश्चित अंक 100 (एक सौ) होंगे एवं इनका विनिश्चय निम्नवत होगा :–

सामान्य संवर्ग। –

(i) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) में प्राप्तांक .... कुल 50 अंक

(ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री .... कुल 05 अंक

(iii) सरकारी पशुचिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव के लिए अंक .... कुल 20 अंक
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 4 अंक एवं अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते है।

(iv) मौखिक साक्षात्कार .... कुल 25 अंक

विशेषज्ञ संवर्ग। –

(i) एम0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (M.V.Sc. & A.H.) में प्राप्तांक .... कुल 50 अंक

(ii) सरकारी पशुचिकित्सालयों में नियमित /अनुबंध नियुक्ति उपरांत कार्य अनुभव .... कुल 20 अंक
प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 4 अंक एवं अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते है।

(iii) मौखिक साक्षात्कार .... कुल 30 अंक

(3) परीक्षा होने वाला वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा, समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार विनिश्चत की जाय।

(4) अभ्यर्थी को अच्छे नैतिक चरित्र एवं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

(5) अभ्यर्थी को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अथवा उसके अधीन गठित अन्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद् से स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

टिप्पणी। –

(क) बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0 (B.V.Sc. & A.H.) के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50 X 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।

(ख) सामान्य / विशेषज्ञ संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निर्धारित अंक के अनुसार होगा।

6. **आरक्षण।** –सेवा या संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय– 3

सीधी भर्त्ती

7. सेवा के दोनों संवर्गों की मूल कोटि में भर्ती इस नियमावली के अध्याय– 2 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित कर सीधी भर्त्ती से की जायगी। दोनों संवर्गों की वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर अलग–अलग विनिश्चित की जायगी।

8. विभाग प्रति वर्ष 1, अप्रैल की स्थिति के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा मूल कोटि के पदों को भरी जाने वाली आरक्षणवार रिक्तियों की गणना कर आयोग को भेजेगा।

9. **परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि।** –नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायगी। उनकी सेवा अभिलेख उपलब्ध रहने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् स्थायी/सम्पुष्ट की जा सकेगी।

टिप्पणी। –

बिहार पशुपालन सेवा पदाधिकारी विभागीय परीक्षा नियमावली 1967 (ज्ञाप संख्या– VIER (1) 67 ए0 एच0 5718 दिनांक– 15वीं मई, 1967) में निहित प्रावधानों को पूरा करते हों एवं विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त हो।

अध्याय– 4

पदों का वर्गीकरण, प्रोन्नति आदि

10. **प्रोन्नति के लिए विनिश्चित अर्हताएँ।** –(1) दो वर्षों की संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि के उपरान्त, पशुचिकित्सकों की सेवा अध्याय– 3 के नियम–9 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, संपुष्ट की जायेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर प्रोन्नति अनुशंसा करेगीः–

(क) चारित्रिक अभ्युक्तियाँ।

(ख) स्वच्छता प्रतिवेदन।

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर विनिश्चित अन्य मापदंड।

(3) प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं अन्य शर्त्तें विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात् अलग से विनिश्चित की जायगी।

(4) अपर निदेशक के नीचे के पदों पर प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष उक्त समिति के वरीयतम प्रधान सचिव होंगे। अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। इन दोनों विभागीय प्रोन्नति समितियों के सदस्य सचिव प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होंगे तथा उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/जन जाति के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित होंगे।

अध्याय– 5

प्रकीर्ण

11. **कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।** –विभाग इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में होने वाली किसी कठिनाई को विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, दूर कर सकेगा।

12. **निरसन एवं व्यावृत्ति।** –(1) संकल्प संख्या– 1291 – D दिनांक 11.04.1935 द्वारा जारी बिहार एवं उड़ीसा वेटनरी सर्विस वर्ग– 1 के (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) असैनिक सेवा नियमावली एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)/–अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

The 4th December 2014

No. 1-Astha(2) 1001/2010-4288—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to determine and control the service conditions of Bihar Veterinary service:-

Chapter – I
General Provision

1. **Short title, extent and commencement.—**(1) These Rules may be called the Bihar Veterinary Service Rules,2014
(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.
(3) It shall come into force with effect from the date of publication of the notification in the Gazette of Govt. of Bihar.
2. **Definitions.—In these rules, unless otherwise not required in the context.**
(i) 'State Government' means the State Government of Bihar ;
(ii) 'Appointing Authority' means Governor of Bihar ;
(iii) 'Service controlling Authority' means Principal Secretary/Secretary. Animal and Fishery Resources Department, the Government of Bihar
(iv) 'Department' means Animal & Fishery Resources Department ;
(v) 'Commission' means Bihar Public Service Commission ;
(vi) 'Specialist Duty' means that service/post as declared by the state Government which requires special eligibility/experience ;
(vii) 'Specialist means such Veterinary doctor who has obtained M.V. Sc or Ph.D or equivalent higher degree in Veterinary or in any subject of Animal Husbandry Science ;
(viii) 'Recognized Institution' means the teaching, research or other institutions which are enlisted or would be enlisted in future under first and second schedule of Indian Veterinary Council Act 1984 (Central Act 52/1984) ;
(ix) 'Service' means Bihar Veterinary Service ;
(x) 'Member' means that veterinary doctor who is appointed in Bihar veterinary service;
(xi) 'State Council' means Bihar Veterinary Council ;
(xii) Bachelor in Veterinary Science and Animal Husbandry (B.V.Sc & A.H) degree means degree of B.V.Sc & A.H. recognized by Indian Veterinary Council ;
(xiii) 'M.V.Sc' means degree of M.V.Sc recognized by Indian Veterinary Council.
(xiv) 'Bihar veterinary service' means The Bihar veterinary service' admissible under Bihar & Orissa veterinary service class-1 (classification, control & Appeal) civil service Rules.
(xv) 'Departmental Promotion Committee' means the committee constituted by the Department for promotion on the various post of the service.

Chapter-2

Bihar Veterinary service

3. Constitution of service.—(1) The Service of regularly appointed veterinary doctor under State Government may be called Bihar Veterinary Service.

(2) There shall be following two cadres in Bihar veterinary service.

(a) Bihar veterinary service-----------------------------------General cadre

(b) Bihar veterinary service---------------------------------Specialist cadre

(3) Veterinary doctors appointed and working in Bihar Animal Husbandry Service/Bihar Veterinary Service before the commencement of these rules shall be deemed to be included in this service.

(4) State Government will indentify some posts as expert posts in this service to encourage expert duties, research and training etc. in the field of veterinary science. The eligibility for that post shall be M.V.Sc or Ph.D or equivalent higher degree in any subject in veterinary or Animal Husbandry Science. The Administrative department shall have power to redetermine the expert posts in view of the rules determine by the government .

(5) The following Posts will be in the chain of Posts in General cadre;

(i) Block veterinary officer and equivalent posts (Basic category)

(ii) Sub Division level post, namely Sub Divisional Animal Husbandry Officer and Equivalent posts (First promotional post)

(iii) District level post namely District Animal Husbandry Officer and Equivalent posts (Second promotional post)

(iv) Divisional level post namely Regional Director and equivalent post (Third promotional post)

(v) Additional Director (Fourth promotional post)

NB- The Number of posts mentioned in above serial no. (ii) to (v) of Bihar veterinary service shall be determined by The State Government from time to time .

4. The State Government shall make Appointment to the post of veterinary doctors and specialist in Bihar veterinary service. The selection shall be made in view of vacancies available in each year according to the process prescribed in these rules. This selection shall be made through The Bihar Public Service Commission and compliance of age limit and reservation rules determined by the Government is compulsary.

5. Qualifications.—(1) Minimum qualification for appointment in general cadre/specialist cadre shall be B.V.Sc & A.H degree from recognized institution. Weightage may be given to veterinary doctors appointed regularily/contract basis in government veterinary hospital.

(2) For selection of veterinary doctors for the appointment in general cadre/specialist cadre, marks shall be given to the candidates for their educational qualification, working experience and Interview. Total determined marks shall be 100 (Hundred) for Educational qualification, working experience and Interview and its determination will be as follows:-

General cadre.-

(i) Obtained marks in B.V.Sc. & A.H. ----------------------------total 50 marks

(ii) Obtained marks in M.V.Sc. or Higher degree-------------- total 05 marks

(iii) Marks for Working experience after regular appointment / appointment on contract basis in Government veterinary Hospitals -- total 20 marks
4 marks for every complete year and maximum 20 marks can be given

(iv) Interview-- total 25 marks

Specialist cadre.—

(i) Obtained marks in M.V.Sc & A.H. ----------------------------- total 50 marks

(ii) Working experience after
regular/contractual appointment
in Government veterinary Hospitals ---------------- total 20 marks
4 marks for every complete year and
maximum 20 marks can be given.

(iii) Interview-- total 30 marks

(3) Maximum age limit of the candidate as on 1st August of the year in which examination is to be held shall be such as may be determined by the State Government (General Administration Department) reservation categorywise, from time to time.

(4) Candidate must be of good moral character and be mentally and physically fit.

(5) Candidate must be permanently registered with Indian Veterinary Council or constituted there under other any State Veterinary Council.

Note:- (a) Determination of Marks to be given to any candidate shall be made after multiplying by 0.5 with marks obtained in B.V.Sc. & A.H. degree. As for example if candidate has obtained 50 marks in B.V.Sc.& A.H. degree then he shall be given 50 X 0.5= 25 marks.

(b) Minimum marks for the appointment of the candidate in general/specialist cadre shall be according to the determined marks in circulars issued by General Administration department, from time to time.

6. **Reservation.—**The provisions of reservation / roaster issued by the Government of Bihar from time to time shall be applicable.

Chapter-3

Direct Recruitment

7. Recruitment in basic categories of both cadres in the services shall be made by recruitment according to the provisions of Chapter-2 of these rules after advertisement. Seniority list of both cadres shall be determined on the basis of merit list recommended by The Bihar Public Service Commission.

8. The department shall send requisition to the Commission by calculating the vacancies category wise in basic category post as on 1st April of every year.

9. **Probation period and service confirmation.—**Appointment shall be made on probation. Their services shall be confirmed on available of service records and after passing in the prescribed Departmental Examination.

Note - Bihar Veterinary Service Officers shall have to fulfill the provisions of Departmental Examination Rules 1967 (Memo no. VIER (1) 67 A.H-5718 dt. 15th May 1967 and pass in that Departmental Examination according to prescribed standards.

Chapter-4

Classification of posts; promotion etc

10. **Determined Qualifications for promotion :-**(1) After completion of two years of successful probation period, the service of the Veterinary doctors shall be confirmed in view of the provisions of rule-9 of chapter – 3.

(2) Promotion shall be considerable on the recommendation of Departmental Promotion Committee .The Departmental Promotion Committee will recommend for promotion after considering the following points :-

(a) Character remarks

(b) Vigilance Clearance report

(c) Other criterion determined by the State Government for this purpose from time to time.

(3) Kalawadhi for promotion and other conditions shall be determined by the Department separately after consultation with the General Administration Department .

(4) The Departmental Promotion Committee shall be headed by the senior most Principal Secretary of the Departmental Promotion Committee constituted by the General Administration Department for the post below The Additional Director. The chairman/member of Bihar Public Service Commission shall be The Chairman of the Departmental Promotion Committee for the promotion of Additional Director. Principal Secretary/Secretary shall be the member secretary of both the Departmental Promotion Committees and nominated representative of The General Administration Department and a member of SC/ST nominated by The General Administration Department shall be the members of that committee.

Chapter-5

Miscellaneous

11. Power of removal of difficulties .-The Department may remove any difficulty arising in implementation of any rule of these rules after consultation with the Law Department by general or special order which is not consistent with the provision of these Rules .

12. Repeal and savings:-(1) Bihar and Orissa Veterinary Service class-I (Classification, control and appeal) Civil Service Rules issued by resolution number 1291 - D dated . 11-4-1935 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1021-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

विषय :— राज्य की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर (Pay-Level) आधारित कालावधि का निर्धारण।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1800 दिनांक–09.06.2011 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए ग्रेड–पे आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. वर्त्तमान में सातवें वेतन आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में भी वेतन स्तर आधारित व्यवस्था लागू की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–08.01.2017 में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधार पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित करने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। इस पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि निर्धारित करने के उद्देश्य से दिनांक–01.01.2006 के पूर्व कर्मियों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित सेवा को ही छठे वेतन की अनुशंसा का आधार बनाया गया है तथा इसी को छठे वेतन पुनरीक्षण में संगत ग्रेड–पे में विस्तारित किया गया है। राज्याधीन सेवाओं में दिनांक–01.01.2006 के वेतनमान् को दिनांक–01.01.2016 के वेतनमान् से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं में प्रतिस्थापित करते हुए वेतन स्तर की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इस आधार पर प्रोन्नति के निमित्त वेतन स्तर आधारित कालावधि का पुनर्निधारण आवश्यक हो गया है।

3. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन समान वेतन स्तर की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में कालावधि के बिन्दु पर एकरूपता रखने के प्रयोजनार्थ विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में वेतन स्तर आधारित निम्नलिखित कालावधि व्यवस्था समान रूप से तत्कालिक प्रभाव से लागू की जाय :—

i

क्रमांक	Levels		न्यूनतम अर्हक सेवा (कालावधि)
	से	तक	
1	1	2	3 Years
2	2	3	3 Years
3	3	4	5 Years
4	4	5	5 Years
5	5	6	6 Years
6	6	7	5 Years
7	7	8	2 Years
8	8	9	2 Years
9	9	11	5 Years
10	11	12	5 Years
11	12	13	5 Years
12	13	13A	2 Years
13	13A	14	2 Years

ii. वेतन स्तर के लिए कालावधि निर्धारण हेतु वेतन उपर्युक्त कालावधि तालिका में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी सेवा अथवा संवर्ग में किसी एक लेवल से ठीक ऊपर के लेवल में प्रोन्नति नहीं देकर किसी अन्य उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति दी जा रही हो, अर्थात लेवल जम्प (Level Jump) हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में धारित वेतन स्तर से ऊपर के वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को जोड़ते हुए संयुक्त कालावधि के आधार पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित की जा सकेगी। उदाहरण स्वरूप यदि वेतन स्तर–4 से वेतन स्तर–5 में प्रोन्नति न देकर वेतन स्तर–6 में प्रोन्नति दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वेतन स्तर–4 से वेतन स्तर–5 के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि 5 वर्ष में वेतन स्तर–6 के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि 6 वर्ष दोनों को जोड़ते हुए 5 + 6 = 11 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूरी करनी होगी। उपर्युक्त कालावधि मात्र प्रोन्नति के लिए विचार करते समय निम्नतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में संबंधित कर्मी के द्वारा की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि (कार्यानुभव) है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि कालावधि के पूर्ण होने पर सभी कर्मियों को वरीयतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नत कर दिया जायेगा। प्रोन्नति के लिए वरीयतर वेतन–स्तर (Pay-Level) में आवश्यकता आधारित पदों की रिक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

iii. कालावधि का एकरूप निर्धारण राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/संवर्गों एवं पद समूहों आदि में केवल आवश्यकता आधारित प्रोन्नतियों के लिए समान रूप से लागू होगा। परंतु सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत प्रोन्नतियों तथा राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों अथवा किसी विशेष सेवा संवर्ग में राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति के लिए अलग से कालावधि का निर्धारण किया गया हो, तो इस प्रोन्नति में उपर्युक्त कालावधि का निर्धारण लागू नहीं होगा।

iv. निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहाँ प्रोन्नति देना सम्भव नही हो पाता हो, वहाँ धारित पद एवं उससे एक स्तर के नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर दोनों पदों/वेतन स्तरों (Pay-Level) की कुल कालावधि यदि पूरी होती है और धारित पद पर न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पूरा हो जाता है तो ऐसे मामलों में प्रोन्नति दी जा सकती है। दृष्टान्तस्वरूप Level-11 से Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि 5 वर्ष निर्धारित है और Level-12 से Level-13 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। यदि Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) से Level-13 के वेतन स्तर (Pay-Level) में प्रोन्नति विचारणीय हो, तो Level-12 के वेतन स्तर (Pay-Level) में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न वेतन स्तर (Pay-Level) (या अपुनरीक्षित वेतनमान) वाले पद की कार्यावधि और धारित वेतन स्तर (Pay-Level-12) के पद की कार्यावधि जोड़कर कुल 10 वर्ष की कालावधि पूरा होने पर प्रोन्नति दी जा सकेगी अर्थात निम्न वेतन स्तर (Level-11) में निष्पादित सेवा 9 (नौ) वर्ष या इससे अधिक एवं धारित वेतन स्तर (Level-12) में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष के कार्यानुभव होने के उपरान्त विचारणीय वेतन स्तर (Level-13) में प्रोन्नति दी जा सकेगी। धारित पद/वेतन स्तर में न्यूनतम 1 (एक) वर्ष के कार्यानुभव की शर्त्त में छूट नहीं दी जा सकेगी।

v. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय ज्ञापन सं0 ए0बी0/14017/7/2008–स्थापना (आर0आर0) दिनांक 17 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के आलोक में यथासमय एवं यथास्थिति राज्य सरकार उपर्युक्त रूप में निर्धारित कालावधि में छूट दे सकेगी। जहाँ तक छूट की मात्रा का प्रश्न है, प्रोन्नत पद के कुल स्वीकृत बल की जितनी प्रतिशत रिक्ति होगी, उस पद हेतु निर्धारित कालावधि में उतने प्रतिशत तक छूट दी जा सकेगी, परन्तु यह छूट निर्धारित कालावधि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उदाहरणतः यदि वेतन स्तर Level-9 से Level-11 में प्रोन्नति विचाराधीन हो तो उपर्युक्त तालिका के अनुसार निर्धारित कालावधि (5 वर्ष) में अधिकतम् 2½ वर्ष की छूट दी जा सकेगी। यह छूट आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समान रूप से प्राप्त होगी। प्रोन्नति हेतु निर्धारित अन्य शर्तें यथा विभागीय परीक्षा के उत्तीर्णता, सेवा सम्पुष्टि आदि लागू रहेगी। कालावधि में छूट हेतु प्रशासी विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

vi. कार्यहित में यथास्थिति उप कंडिका–(iv) एवं (v) में वर्णित प्रावधानों का लाभ एक साथ भी दिया जा सकता है।

vii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13295 दिनांक–28.09.2016 के कंडिका–5(iv) के अनुरूप अगले प्रोन्नत पद पर विधिवत/नियमित प्रोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम कालावधि में स्थानापन्न/तदर्थ/कार्यकारी प्रोन्नति के रूप में बितायी गयी अवधि को जोड़ा जा सकेगा।

viii. यदि किसी सेवा संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तद्नुरूप संशोधित कर लेगा। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस संलेख में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में कालावधि संबंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित कार्यालयों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि04–काला0नि0छूट–03 / 2001 सा0प्र0 7433 पटना–15, दिनांक– 5.6.18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / वि04–काला0नि0छूट–03 / 2001 सा0प्र0 7433 पटना–15, दिनांक– 5.6.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना / सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-3 पी० आर० सी०-02/92-781-वि० (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

दिनांक 8 फरवरी, 1996

संकल्प

विषय— असंगति निराकरण समिति के प्रतिवेदन में दी गई लाभकारी अनुशंसा को लागू करने के सम्बन्ध में।

फिटमेंट-सह-पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सेवीवर्ग का वेतन-पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6021 दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के जरिए किया गया। उक्त वेतन पुनरीक्षण समिति-सह-फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के खण्ड-2 में की गई अनुशंसाओं, जिनपर अलग से विचार करने का निर्णय लिया गया था तथा संकल्प में निहित विसंगतियों की जाँच-हेतु, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3 पी० आर० सी०-011-89-6106 दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 के द्वारा, असंगति निराकरण समिति का गठन किया गया।

2. वेतन असंगति निराकरण समिति की अनुशंसाओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न अनुसूची-1 (अनुलग्नक-1) में अंकित कोटि के सेवकों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। जिन मामलों में सशर्त्त अनुशंसा थी और सूचनाएँ अनुपलब्ध हैं वहाँ सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान ही तत्काल स्वीकृत किया जा रहा है। पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होने पर पुनः आदेश निर्गत किया जाएगा।

3. अनुसूची-2 में ऐसे पदों की सूची है जिनके प्रसंग में समय-समय पर निर्गत आदेशों के जरिए पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है वे आदेश पूर्ववत प्रभावकारी रहेंगे।

4. संशोधित वेतनमान का लाभ सम्बन्धित सरकारी सेवकों को वैचारिक रूप से दिनांक 1 जनवरी, 1986 से एवं वास्तविक रूप से दिनांक 1 मार्च, 1989 से देय होगा। दिनांक 1 मार्च, 1989 से 31 मार्च, 1995 तक की बकाया राशि सभी सम्बद्ध कर्मियों के भविष्य निधि में जमा की जायेगी तथा उत्क्रमित वेतनमान में वेतन निर्धारण के अनुसार तिथि 1-4-1995 से ही नगद भुगतान देय होगा। जो कर्मचारी इस अवधि में सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा।

5. सरकारी सेवक जिनके वेतन का संशोधन इस संकल्प के जरिए किया जा रहा है उनका भी वेतन वित्त विभाग के संकल्प संख्या-6021 दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 में निहित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित होगा। संशोधित वेतनमान में तिथि 1 जनवरी, 1986 के वेतन निर्धारण का सत्यापन भी आवश्यक होगा।

आदेश— *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करें।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

एस० एस० दुबे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-3 पी० आर० सी०-02/92-781-वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/पो०-हिन्नू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-781- वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. यदि किसी संवर्ग में वेतनमान में सुधार हुआ है और उसका अनुलग्नक-2 में नहीं हुआ है तो इसकी सूचना अविलम्ब वित्त विभाग को दी जाय।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-781- वि० (2) दिनांक 8 फरवरी, 1996

प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

एस० एस० दुवे

सरकार उप सचिव, वित्त विभाग

अन्य सेवा	वर्त्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	पत्रांक / दिनांक
1	2	3	4
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सूपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,
5. बिहार सहकारिता सेवा			
(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	,, ,,
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,
6. बिहार निबन्धन सेवा			
(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	1213/25.3.1991
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	1213/25.3.1991
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	,, ,,
7. बिहार वित्त सेवा			
(क) मूल कोटि वाणिज्यकर पदाधिकारी	2200-4000	2200-4000	1153/21.3.1991
(ख) कनीय प्रवर कोटि सहायक आयुक्त	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) उपायुक्त वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल (संयुक्त आयुक्त)	3700-5000	4100-5300	,, ,,
(ङ) वरीय संयुक्त आयुक्त/ निदेशक विजिलेंस एवं मोनीटरिंग	4500-5700	4500-5700	,, ,,
(च) अपर आयुक्त	5100-6300	5100-6300	,, ,,
8. बिहार पशुपालन सेवा			
(क) मूल कोटि	2200-4000	2200-4000	,, ,,
(ख) कनीय प्रवर कोटि	2400-4150	3000-4500	,, ,,
(ग) वरीय प्रवर कोटि	3000-4500	3700-5000	,, ,,
(घ) सुपर टाईम स्केल	3700-5000	4100-5300	1153/21.3.1991
(ङ) अपर निदेशक	4500-5700	4500-5700	,, ,,
(च) निदेशक	5100-6300	5100-6300	,, ,,